

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 30 दिसम्बर, 2020 पौष 9, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

लोक सेवा प्रबन्धन अनुभाग

संख्या 413 / 91–2020 लखनऊ, 30 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ0-469

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश जनिहत गारन्टी अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2011) की धारा 3 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, समय—समय पर यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या 2198/एक-14—2010-33(100)-2010 टी०सी0—III, दिनांक 15 जनवरी, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं।

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, क्रम संख्या—79 की प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियाँ, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से स्तम्भवार बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :—

अनुसूची

क्र0-सं0	विभाग का नाम	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी	सेवाओं के लिए नियत समय-सीमा	अपीलीय	प्रथम अपीलीय अधिकारी के निस्तारण हेतु नियत समय-सीमा	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी के निस्तारण हेतु नियत समय-सीमा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	सहकारिता विभाग	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 और उत्तर प्रदेश	मण्डलीय उप / संयुक्त निबंधक, सहकारिता	60 कार्य दिवस	विशेष सचिव / सचिव, सहकारिता,	30 कार्य दिवस	प्रमुख सचिव / अपर मुख्य सचिव, सहकारिता,	30 कार्य दिवस

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		सहकारी			उत्तर		उत्तर	
		समिति			प्रदेश		प्रदेश	
		नियमावली,			शासन।		शासन ।	
		1968 के						
		उपबन्धों के						
		अधीन सहकारी						
		समितियों का						
		ऑनलाइन						
		रजिस्ट्रीकरण						
		किया जाना।						

आज्ञा से, जितेन्द्र कुमार, प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 413/XCI-2020, dated December 30, 2020:

No. 413/XCI-2020

Dated Lucknow, December 30, 2020

IN exercise of the powers under section 3 of the Uttar Pradesh Janhit Guarantee Adhiniyam, 2011 (U.P. Act no. 3 of 2011) *read* with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette*, the following amendment in Government notification no. 2198/1-14–2010-33(100)-2010 T.C.-III, dated January 15, 2011 as amended from time to time.

AMENDMENT

In the aforesaid notification, in the Schedule *after* entries at serial number 79, the following entries shall, with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette*, column-wise be *inserted*, namely:—

SCHEDULE

Sr. no.	Name of the	Services	Designated	Stipulated	First Appeal	Stipulated	Second	Stipulated
	Departments		Officer	time limits	Officer	time limits	Appellate	time limits
				for		for disposal	Authority	for disposal
				services		of first		of Second
						Appeal		Appeal
						Officer		Officer
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	Co-operative	Online registration	Divisional	60 working	Special	30 working	Principal	30 working
	Department	of Co-operative	Dupty/ Joint	days	Secretary/	days	Secretary/	days
		Societies under	Registrar		Secretary,		Additional	
		provision of Uttar	Co-		Co-operative		Secretary,	
		Pradesh Co-	operative		U.P.		Co-	
		operative Societies			Secretariate		operative	
		Act- 1965 and					U.P.	
		Rules-1968					Secretariate	

By order,
JITENDRA KUMAR,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० ५६० राजपत्र—2020—(1163)—599 प्रतियाँ (कम्प्यूटर / टी० / ऑफसेट)। पी०एस०यू०पी०—ए०पी० ५ सा० लोक सेवा प्रबन्धन—2020—(1164)—500 प्रतियाँ (कम्प्यूटर / टी० / ऑफसेट)।